

स्त्री अध्ययन और नारी सशक्तिकरण

डॉ० अशोक कुमार

एसोसिएट प्रोफेसर

राजनितिक विज्ञान राजकीय महाविद्यालय टप्पल अलीगढ़

सार

महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए उन्हें और सशक्त बनाने के लिए भारत में कुछ ठोस कदम और उठाने होंगे जरूरत है कि इसे आरम्भिक स्थिति से निकालते हुए सही दिशा में तेज गति से आगे बढ़ाया जाये। निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु महिलाओं सशक्तिकरण इस विषय पर कई चर्चा परिचर्चा आयोजित हो और जो कार्यक्रम व योजनाएं भारत सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान व विकास हेतु संचालित की जा रही हैं उनका क्रियान्वयन सही ढंग से हर स्तर तक खास रूप में निचले स्तर तक पहुंचे जिससे हर तबके को उसका लाभ मिल सके क्योंकि मानवीय साधनों के पूर्ण विकास परिवारों के सुधार बच्चों के चरित्र निर्माण देश के उत्थान आदि के लिए महिलाओं का सशक्त होना अति महत्वपूर्ण है।

परिचय

समूची सम्प्रदाय में व्यापक बदलाव के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में महिला सशक्तिकरण आंदोलन बीसवीं शताब्दी के आखिरी दशक का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक विकास कहा जा सकता है महिलाएं हमारे देश की आबादी का लगभग आधा हिस्सा है इसलिए राष्ट्र के विकास के इस महान कार्य में महिलाओं की भूमिका तथा योगदान को पूरी तरह और सही परिप्रेक्ष्य में रखकर ही राष्ट्र निर्माण के कार्य को समझा जा सकता है। भारत की प्रजातांत्रिक व्यवस्था में स्त्रियों को जीवन के हर क्षेत्र में सहभागी होना आवश्यक है। संविधान में उसे हर क्षेत्र में बराबरी का दर्जा दिया गया है इसलिए स्त्री अध्ययन में नारी सशक्तिकरण एक महत्वपूर्ण मुद्दा है

भारतीय समाज में नारी के दोहरे मापदण्ड प्राचीन काल से विद्यमान रहे हैं। एक ओर 'मातृदेवी भव' के अनुपम उदघोष से अनुप्रमाणित भारतीय संस्कृति में स्त्रियों का सदा से गौरवपूर्ण स्थान माना गया है वहीं दूसरी ओर धार्मिक ग्रन्थों में नारी को 'पाप योनि' भी कहा गया है। जहाँ एक ओर मनुस्मृति में मनु ने लिखा है कि 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता' वहीं दूसरी ओर गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है "ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी।' भारतीय सामाजिक व्यवस्था में नारी ने अनेक उत्थान और पतन देखे हैं एक ओर जहाँ वह वन्दनीय पूजनीय ममतामयी और प्रेरणादायी है तो दूसरी ओर वह कलुषित, कुलटा, पतिता कुलक्षणा जैसे शब्दों से सम्बोधित भी की जाती है।

ऐसे दोहरे मापदण्डों में जी रही नारी के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् संविधान में पुरुषों के समान अधिकार, समानतायें और स्वतंत्रता प्रदान की गयी। पिछले बीस वर्षों में कई नीतिगत बदलाव आए हैं। 1970 के दशक में जहाँ 'कल्याण' की आधारणा अपनायी गयी वहीं 1980 के दशक में 'विकास' पर जोर दिया गया। 1990 के दशक से महिला अधिकारिता यानी सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि महिलाएं निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल हो और नीति निर्माण के स्तर पर भी उनकी सहभागिता रहे फिर भी आज अनेक सामाजिक आर्थिक शैक्षिक कारणों से महिलाओं के प्रति दायम दर्जे की मानसिकता है आज भी कन्या को पराया धन माना जाता है। उसे बोझ समझा जाता है। आज भी महिला शिक्षा के प्रति जो जागरूकता आनी चाहिए वह शहरी क्षेत्र में उच्च व मध्यम वर्ग में आयी चाहिए वह शहरी क्षेत्र में उच्च मध्यम वर्ग में आयी है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में व निर्धन वर्ग में अभी भी हम बहुत ही पीछे हैं। इसका सीधा असर सही मायने में महिला सशक्तिकरण पर पड़ रहा है। अब सवाल यह उठता है कि महिला सशक्तिकरण को कैसे परिभाषित कर सकते हैं ?

विश्व में लिंगानुपात स्थिति

क्र.सं.	देश	लिंगानुपात
1.	चीन	944
2.	भारत	933
3.	संयुक्त राष्ट्र अमेरीका	1029
4.	इंडोनेशिया	1004
5.	ब्राजील	1025
6.	पाकिस्तान	938
7.	रूस	1140
8.	बांग्लादेश	953
9.	जापान	1041
10.	नाइजीरिया	1016
11.	विश्व औसत	986

महिला सशक्तिकरण का अर्थ ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें महिलाओं की अपने आप को संगठित करने की क्षमता बढ़ती और सुदृढ़ होती है वे लिंग सामाजिक आर्थिक स्थिति और परिवार व समाज में भूमिका के आधार पर निर्धारित सम्बन्धों को दरकिनार करते हुए आत्मनिर्भरता विकसित करती है।

जानी मानी अर्थशास्त्री बीना अग्रवाल महिला सशक्तिकरण को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में व्याख्यायित करती है जिससे दुर्बल और उपेक्षित लोगों या समूहों की क्षमता बढ़े जिससे वे अपने आप को निम्न आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में डालने वाले मौजूद शक्ति सम्बन्धों को बदल कर अपने पक्ष में कर सकें।

भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में महिलाओं के प्रति भेदभाव और शोषण की नीतियों का सदियों से ही बोलबाला रहा है। देश की आधी आबादी का सशक्तिकरण नारी को शिक्षित करने के प्रेम और न्याय का अधिकार देने से नारी को रूढ़ियों से आजाद कराने से होगा। महिलाओं को न्याय दिलाना, निर्माण लेने में महिलाओं को न्याय दिलाना निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना सच्चा नारी सशक्तिकरण होगा।

लेकिन भारत में महिला सशक्तिकरण पर अध्ययन करें तो यह पाते हैं कि यह दिखायी पड़ता है कि यहाँ पर खास वर्ग व सम्पन्न परिवार की महिलाओं को ही अपने सर्वांगीण विकास का मौका मिलता है लेकिन दुर्भाग्य से देश की सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई व आर्थिक रूप से गरीब महिलाओं को जो संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक है को अपने विकास का मौका नहीं मिला है और वे आज भी जीवन की मुख्य धारा से कौंसों दूर हैं। अतः आवश्यकता है कि उन्हें अविलम्ब महिला सशक्तिकरण के दायरे में लाया जाय।

महिला सशक्तिकरण की जब भी बात की जाती है तब सिर्फ राजनीतिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण पर चर्चा होती है पर सामाजिक सशक्तिकरण की चर्चा नहीं होती है। ऐतिहासिक रूप से महिलाओं को दूसरे दर्ज का नागरिक माना जाता है। उन्हें सिर्फ पुरुषों से ही नहीं बल्कि जातीय संरचना में भी पीछे रखा गया है। इन परिस्थितियों में उन्हें राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त करने की बात बेमानी लगती है भले ही उन्हें कई कानूनी अधिकार मिल चके हैं लेकिन महिलाओं का जब तक सामाजिक सशक्तिकरण नहीं होगा, तब तक वह अपने कानूनी अधिकारों का समुचित उपयोग नहीं कर सकेंगी। सामाजिक अधिकार या समानता एक जटिल प्रक्रिया है कई प्रतिगामी ताकतें सामाजिक यथास्थितिवाद को बढ़ावा देती हैं और कभी-कभी तो वह सामाजिक विकास को पीछे धकेलती हैं। इसलिए महिला को सशक्त बनाने के लिए जब तक शासन की तरफ से गंभीरता से पहल नहीं की जाएगी तब तक समस्या बरकरार रहेगी।

महिला सशक्तिकरण आंदोलन को सुदृढ़ करने के साथ एक कारगर संस्थागत ढांचा भी खड़ा किया है। सरकार ने 1985 में एक अलग विभाग 'महिला और बाल विकास विभाग' का गठन किया जो नोडल संगठन के रूप में अपनी भूमिका के अन्तर्गत योजनाएं नीतियां और कार्यक्रम तैयार करता है।

31 जनवरी 1992 में 'राष्ट्रीय महिला आयोग' का गठन किया गया है। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा से सम्बन्धित तमाम पहलुओं और सशक्तिकरण प्रक्रिया को बढ़ावा देने के सभी प्रयासों को इसके दायरे में लाया गया है। किसी राष्ट्र का विकास उसकी सम्पूर्ण जनशक्ति के प्रयासों का परिणाम होता है। जनशक्ति में महिलाओं की संख्या आधे के लगभग है। आधी शक्ति को परे रखकर तेजी से विकास की कल्पना कैसे की जा सकती है।

राष्ट्रीय विकास में महिलाओं की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। देश की सम्पूर्ण जनशक्ति की वे प्रमुख अंश होती हैं। नारी को सशक्त किए बिना राष्ट्र की जनशक्ति को मानवीय संसाधन का रूप दे पाना संभव नहीं है। महिला सशक्तिकरण के विषय पर चर्चा करने में यह प्रश्न सामने आता है कि क्या महिलाएं सचमुच में मजबूत बनी हैं और क्या उसका लम्बे समय का संघर्ष खत्म हो चुका है। राष्ट्र के विकास में महिलाओं की सच्ची महत्ता और अधिकार के बारे में समाज में जागरूकता लाने के लिये :मातृ दिवस' 'अन्तराष्ट्रीय महिला दिवस' आदि जैसे कई सारे कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाये जा रहे और लागू किये गये हैं।

महिलाओं को कई क्षेत्र में विकास की जरूरत है। अपने देश में उच्च स्तर की लैंगिक असमानता है जहाँ महिलाएं अपने परिवार के साथ ही बाहरी समाज में बुरे बर्ताव से पीड़ित हैं भारत में अनपढ़ों की संख्या में महिलाएं सबसे अग्रवर्ती हैं। नारी सशक्तिकरण का असली अर्थ तब समझ में आएगा जब भारत में उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाएगी और उन्हें इस काबिल बनाया जाएगा कि वह जीवन के हर क्षेत्र में स्वतंत्र होकर फैसले कर सकें।

भारतीय सरकार के द्वारा शुरुआत की गयी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये राष्ट्रीय मिशन के अनुसार 2011 गणना में इस कदम की वजह से कुछ सुधार आया इससे महिला लिंगानुपात और महिला शिक्षा दोनों में बढ़ोत्तरी हुई।

वर्ष	साक्षरता दर		साक्षरता दर में दशकीय परिवर्तन		जेंडर अंतराल (Gender Gap)	लिंगानुपात	लिंगानुपात में दशकीय परिवर्तन	बाल लिंगानुपात (0-6)	बाल लिंगानुपात में दशकीय परिवर्तन
	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री					
1951	27.16	08.86	--	--	18.30	946	01	--	--
1961	40.4	15.35	13.24	06.49	25.05	941	-05	976	--
1971	45.96	21.97	05.56	06.62	23.98	930	-11	964	-08
1981	56.38	29.76	10.42	08.79	26.62	934	04	962	-02
1991	64.13	39.29	07.75	09.53	24.84	927	-07	945	-17
2001	75.26	53.67	11.13	14.38	21.59	933	06	927	-18
2011	82.14	65.46	06.88	11.79	16.68	940	07	914	-13

महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए उन्हें और सशक्त बनाने के लिए भारत में कुछ ठोस कदम और उठाने होंगे जरूरत है कि इसे आरम्भिक स्थिति से निकालते हुए सही दिशा में तेज गति से आगे बढ़ाया जाये।

निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु महिलाओं सशक्तिकरण इस विषय पर कई चर्चा परिचर्चा आयोजित हो और जो कार्यक्रम व योजनाएं भारत सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान व विकास हेतु संचालित की जा रही है उनका क्रियान्वयन सही ढंग से हर स्तर तक खास रूप में निचले स्तर तक पहुंचे जिससे हर तबके को उसका लाभ मिल सके क्योंकि मानवीय साधनों के पूर्ण विकास परिवारों के सुधार बच्चों के चरित्र निर्माण देश के उत्थान आदि के लिए महिलाओं का सशक्त होना अति महत्वपूर्ण है।

संदर्भ सूची

- 1- पाण्डेय, रामशकल, (2008) भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास, आगरा, अग्रवाल पब्लिकेशन
- 2- पाण्डेय, बी०बी०, (2007) भारतीय शिक्षा की समस्याएँ गोरखपुर तेतरा वद्यावती शैक्षिक प्रकाशन।
- 3- चन्द्रपाल (2005) "महिला शिक्षा के अनसुलझे पहलु" कुरुक्षेत्र वर्ष 51 अंक 5 सूचना और प्रसारण मंत्रालय नई दिल्ली।
- 4- वर्मा सरोज कुमार (2008) स्त्री सशक्तिकरण के भारतीय संदर्भ योजना वर्ष 53 अंक 10 सूचना और प्रसारण मंत्रालय नई दिल्ली।